रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2015/माघ 1, 1936
No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/MAGHA 1, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 48(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 8 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम " से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "नोडल अधिकारी " से अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "हकदार व्यक्ति " से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उस रूप में पहचाने गए पात्र गृहस्थों से संबंध रखने वाला और वैध राशनकार्ड रखने वाला, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. **खाद्यानों के आबंटन के लिए समय-सीमा**.—केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अन्य आदेशों में उपबंधित समय सीमा का खाद्यानों के आबंटन तथा अधिनियम के अधीन हकदार व्यक्तियों को इन्हें उपलब्ध कराने के लिए पालन करेंगी ।

4. **खाद्यानों की आपूर्ति न होने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय**.—(1) नोडल अधिकारी प्रत्येक मास के अंत में और प्रत्येक उचित दर दुकान का अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार प्रत्येक उचित दर दुकान के अधीन आने वाले हकदार व्यक्तियों को खाद्यानों के प्रदाय की प्रास्थिति का सत्यापन करेगा ;

(2) नोडल अधिकारी किसी हकदार व्यक्ति को खाद्यानों की हकदार मात्रा की आपूर्ति न किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ;

(3) नोडल अधिकारी प्रत्येक मामले में जहां उचित दर दुकान में खाद्यानों की अननुपलब्धता या किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हकदार खाद्यानों की मात्रा की आपूर्ति न होने के प्रत्येक मामले में हकदार व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय करेगा ;

(4) नोडल अधिकारी, जहां खाद्यानों की किसी उचित दर दुकान डीलर द्वारा जान-बूझकर आपूर्ति नहीं की गई है, वहां जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास तुरंत शिकायत रजिस्टर करेगा ।

5. **आपूर्ति की प्रास्थिति का सत्यापन**.—राज्य सरकार पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता के अधीन रहते हुए प्रत्येक उचित दर दुकान के संबंध में निम्नलिखित को करने और अभिलिखित करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विधियों का उपयोग करेगी और ऐसे ब्यौरों को लोक डोमेन में रखेगी-

(i) मास के अंत में खाद्यानों के वितरण की प्रास्थिति का सत्यापन;

(ii) वितरण न होने के कारण, यदि कोई हों ।

6. **खाद्य सुरक्षा भत्ते की संगणना**.—हकदार व्यक्तियों को अनुज्ञेय खाद्य सुरक्षा भत्ते की रकम की संगणना उस विपणन सत्र के लिए सुसंगत खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर को आपूर्ति न की गई मात्रा से गुणा करके की जाएगी ।

7. **अवधि जिसके भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय किया जाना है**.—नोडल अधिकारी उस मास जिसमें आपूर्ति नहीं की गई है के पश्चातवर्ती मास के तीसरे सप्ताह के अंत तक खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय करेगा ।

8. **खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का ढंग**.—(1) राज्य सरकार हकदार व्यक्तियों को बैंक खातों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय करेगी ।

(2) यदि किसी हकदार व्यक्ति ने बैंक खाता नहीं खोला है, तो ऐसे व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ते का आरंभिक संदाय नकद किया जाएगा:

परंतु नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ते के प्रारंभिक संदाय की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर बैंक खाता खोल लिया गया है ।

9. **खाद्य सुरक्षा भत्ता जब संदेय नहीं है**.—खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी हकदार व्यक्ति को संदेय नहीं होगा जो मास के दौरान अपनी हकदारी का दावा करने के लिए उचित दर दुकान पर नहीं जाता है:

परंतु नोडल अधिकारी किसी व्यक्ति को उचित दर दुकान तक जाने से और अपनी हकदारी का दावा करने से, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छूट दे सकेगा:

परंतु यह और कि खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी हकदार व्यक्ति को संदेय नहीं होगा जो खाद्यानों की क्वालिटी के आधार पर या ऐसे किसी अन्य आधार पर अपनी हकदारी का दावा करने से इन्कार करता है ।

10. **नोडल अधिकारी द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट**.—नोडल अधिकारी नियम 4 में विनिर्दिष्ट खाद्यानों की आपूर्ति की प्रास्थिति के मासिक सत्यापन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को वितरण के मास के पश्चातवर्ती मास के पंद्रहवें दिन तक हकदार व्यक्तियों को खाद्यानों की आपूर्ति न किए जाने वाले मामलों, को उपदर्शित करते हुए उनके कारणों के साथ और जहां आवश्यक हो, की गई उपचारात्मक कार्रवाई, की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11. **खाद्यानों की क्वालिटी के संबंध में शिकायत**.—खाद्यानों की क्वालिटी के संबंध में कोई शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में उसकी शिकायत का समाधान करने के लिए की जाएगी, जिसकी जांच और उस पर विनिश्चय जिला शिकायत निवारण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंद्रह दिन से अनधिक अवधि के भीतर किया जाएगा ।

12. **एक मास से अधिक हकदारी का वितरण**.—राज्य सरकारों द्वारा एक समय में एक मास से अधिक की हकदारी की आपूर्ति की पद्धति का अनुसरण करने की दशा में हकदार व्यक्तियों को ऐसी हकदारियों की आपूर्ति के सत्यापन के लिए समुचित प्रबंध संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे ताकि हकदारी के अनुसार खाद्यानों के वितरण या हकदार खाद्यानों की मात्रा की आपूर्ति न किए जाने वाले मामलों की दशा में हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय किया जा सके ।

13. **राज्य सरकारों की निदेश जारी करने की सक्षमता**.—राज्य सरकारें, यदि आवश्यक समझें, तो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेंगी जो वह उचित समझें ।

[फा. सं. 15-59/2013-एनएफएसए]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 20I5.

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 39 read with Section 8 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.—** *(1)* These rules may be called the Food Security Allowance Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** *(1)* In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(b) “nodal officer” means an officer designated as such by the State Government under section 14 of the Act;

(c) “entitled person” means a person belonging to eligible households identified as such under the Act by the State Government and in possession of a valid ration card;

(2) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Time limits for allocation of foodgrains.—**The Central Government and the State Governments shall adhere to the time limits provided in the Public Distribution System (Control) Order, 2001 or any other orders issued from time to time by Central Government, for allocation of foodgrains and making them available for distribution to the persons entitled under the Act.

4. **Payment of food security allowance in cases of non-supply of foodgrains.—***(1)* The nodal officer shall verify, at the end of every month and at each fair price shop, the status of supply of foodgrains to the entitled persons covered under each fair price shop, as per their entitlement under the Act

(2) The nodal officer shall record in writing, the reasons for non-supply of entitled quantity of foodgrains to any entitled person.

(3) The nodal officer shall ensure payment of food security allowance to the entitled person in every case where entitled quantity of foodgrains has not been supplied due to non-availability of foodgrains at the fair price shop or for any unforeseen reasons.

(4) The nodal officer shall register a complaint with the District Grievance Redressal Officer forthwith where foodgrains have not been supplied due to any willful lapse of any fair price shop dealer.

5. Verification of status of supply.—The State Government shall use electronic methods, subject to availability of adequate infrastructure, for carrying out and recording the—

(i) month-end verification of status of distribution of foodgrains; and

(ii) reasons for non-distribution, if any, in respect of each fair price shop and place such details in the public domain.

6. Computation of food security allowance.—The amount of food security allowance admissible to entitled persons shall be computed by multiplying the difference between the 1.25 times the minimum support price of the relevant foodgrains for that marketing season and the prices specified in Schedule I to the Act, with the quantity of non-supply.

7. Period within which food security allowance to be paid.—The nodal officer shall ensure the payment of food security allowance by the end of the third week of the month following the month in which the non-supply occurred.

8. Mode of payment of food security allowance.—*(1)* The State Government shall ensure the payment of food security allowance to the entitled persons through bank accounts.

(2) If any entitled person has not opened a bank account, the initial payment of food security allowance to such person shall be made by cash:

Provided that the nodal officer shall ensure that a bank account is opened by such person within one month from the date of initial payment of the food security allowance.

9. Food security allowance when not payable.—The Food security allowance shall not be payable to an entitled person who does not visit the fair price shop to claim his entitlement during the month:

Provided that the nodal officer may exempt a person from visiting the fair price shop and claiming his entitlement, for reasons to be recorded in writing:

Provided further that the food security allowance shall not be payable to an entitled person who refuses to claim his entitlement on the ground of quality of foodgrains or on such other grounds.

10. Summary report by Nodal Officer.—The nodal officer shall, based on monthly verification of status of supply of foodgrains, specified in rule 4, submit a summary report to the District Magistrate, or any other officer authorised by the State Government for this purpose, by fifteenth day of the month following the month of distribution, indicating the cases of non-supply of foodgrains to the entitled persons, along with reasons and the remedial measure taken, wherever necessary.

11. Complaint regarding quality of foodgrains.—Any complaint relating to quality of foodgrains shall be made by the complainant to the District Grievance Redressal Officer in writing seeking redressal of his complaint, which shall be inquired into and decided by the District Grievance Redressal Officer or any other officer authorised by the State Government within a period not exceeding fifteen days.

12. Distribution of more than one month entitlement.—Where the State Governments follow the practice of supply of more than one month's entitlement at a time, appropriate arrangements for verification of supply of such entitlements to the entitled persons shall be undertaken by the concerned State Government so as to ensure distribution of foodgrains as per the entitlements or payment of food security allowance to eligible persons in case of non-supply of entitled quantity of foodgrains.

13. State Governments competent to issue directions.—The State Governments, if considered necessary, may issue such directions for the implementation of these rules, as deemed fit.

[F. No. 15-59/2013-NFSA]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.